न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 3, कन्नौज।

सत्र परीक्षण संख्या 1020/2024

राज्य बनाम संजू उर्फ संजीव कुमार आदि।

दिनांक 28.08.2025

<u>निस्तारण उन्मोचन प्रार्थनापत्र 13 बी व 20 बी</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज वास्ते आदेश उन्मोचन प्रार्थनापत्र 13 बी व 20 बी नियत है।

प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण गौतम शर्मा उर्फ गौतम जोशी, गोविन्द, विपिन तथा ओमजी की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 13 बी तथा प्रार्थी/ अभियुक्त गोपाल गुप्ता उर्फ उत्कर्ष की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 20 बी में दिये गये तथ्य एक समान हैं। उपरोक्त प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र क्रमशः 13 बी व 20 बी प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है न ही उनके विरूद्ध कोई आरोप बनता है। वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाजमद अभियुक्त नहीं है। उनके द्वारा मृतक अरबाज व मजरूब साहिबे आलम के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी और न ही कोई चोटे पहुंचायी गयी। घटना दिनांक 20.06.2024 को शाम 04:30 बजे की बतायी गयी है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 की रात 21:27 पर दर्ज की गयी। मृतक अरबाज का दिनांक 20.06.2024 को रात 07:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरहायगंज में डॉक्टरी मुआयना हुआ जिसमें उसके शरीर पर सभी चोटे साधारण पायी गयी कोई भी चोट सिर पर नहीं पायी गयी, न ही डॉक्टर द्वारा अरबाज को रिफर किया गया और न ही एक्सरे की सलाह दी गयी और न ही किसी चोट को जेरे निगरानी रखा गया। डॉक्टर द्वारा सलाह दी गयी है कि चोटे एक दिन के भीतर आना संभव है। चोटों की समयवधि ताजी नहीं लिखी गयी है। मजरूब साहिबे आलम का भी डॉक्टरी परीक्षण भी दिनांक 20.06.2024 को शाम 07:55 पर हुआ है जिसमें सभी चोटे साधारण प्रकृति की पायी गयी हैं। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 147,323,504,506 में पंजीकृत करायी गयी है। दिनांक 22.06.2024 को अरबाज की मृत्यु हुई अरवाज के शव का शव विच्छेदन दिनांक 22.06.2024 की शाम को करीब 4 बजे जिला अस्पताल कन्नौज में हुआ। दौरान शव विच्छेदन भी अरबाज के सिर पर कोई चोट नही पायी गयी। एन्टी मार्टम इन्जरीस में मात्र दो चोटे पायी गयी हैं जिसमें एक चोट बांयी ऑख पर व एक चोट पुरानी, बायें घुटने पर पायी गयी है। दौरान शव विच्छेदन डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण uncertain अंकित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अरबाज की मृत्यु उक्त चोटों से नही हुई है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नही है, जिसका लाभ प्रार्थीगण को मिलना चाहिये। दौरान शव विच्छेदन यह स्पष्ट हुआ कि अरबाज की मृत्यु एन्टी मार्टम इन्जरीस के कारण नहीं हुई है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा डाक्टर इरशाद अहमद व डॉ० माजिद अली मंसूरी के ब्यान केस डायरी के परचा नं0 28 व 31 में अंकित किये गये, दोनो ही डाक्टर ने अपने ब्यान में

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2025.08.28 17:20:26 IST
Reason: Discharge order
Location: Addl. District and Sessions
Court 3

इस बात को अंकित किया है कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतक की मृत्यु के कारण का पता नही लगा था इस कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण uncertain लिखा गया है व विसरा सुरक्षित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में brain congested लिखा गया है जिसमें डाक्टर द्वारा बताया गया कि अचानक मृत्यु होने के कारण ब्लड जहाँ रहता है वही रुक जाता है जिसके कारण congestion हो जाता है। इस कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में brain congested लिखा गया है। दौरान पोस्टमार्टम मृतक का brain खोला गया था उसमें न ही ऊपरी सतह पर और न ही भीतरी सतह पर कोई चोट पायी गयी थी और न ही कोई रक्त या रक्त का थक्का पाया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु एन्टी मार्टम इन्जरीस के कारण नही हुई है। मृतक की मृत्यु अचानक बी०पी० बढने से brain hemorrhage होने के कारण हुई है। प्रार्थीगण के विरुद्ध मानव वध का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा मृतक को किसी प्रकार की कोई चोटें नही पहुँचायी गयी। मृतक का डाक्टरी मुआयना दिनांकित 20.06.2024 एव मृतक की शव विच्छेदन आख्या दिनांकित 22.06.2024 आपस में मेल नही खाती है, जिसका लाभ प्रार्थीगण को मिलना चाहिये। प्रार्थीगण के विरुद्ध मानव वध का कोई आरोप नहीं बनता है। उपरोक्त आधारों का उल्लेख करते हुए यह निवेदन किया कि उन्हें उक्त अपराध से उन्मोचित कर दिया जाये।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कहा गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है। इसलिये प्रार्थनापत्र 13 बी व 20 बी निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी सबे आलम ने सम्बन्धित थाने में इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक 20.06.2024 को समय करीब 04:30 बजे शाम को वह व उसका भाई शाहे आलम व भतीजा अरबाज स्विमिंग पूल गुरसहायगंज में नहाने आये वहॉ पर मोटरसाइकिल गाडी नम्बर यू0पी0 74 ए0एल0 0733 से नितीश व संदीप आये जिनके साथ करीब 15 अज्ञात व्यक्ति आये और नहाने के वाद विवाद के पीछे गाली–गलौज करने लगे। जब उसने विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसे व उसके भाई व भतीजे को मारापीटा व जान से मार डालने की धमकी दी। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 380/2024 धारा 147,323,504,506 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण नितिन, संदीप व 15 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मजरूबान अरबाज व शाहे आलम का चिकित्सीय परीक्षण हुआ। दौरान इलाज शाहे आलम की मृत्यु हो गयी जिस कारण प्रस्तुत प्रकरण में धारा 302 व 427 भा0दं0सं0 की भी बढ़ोत्तरी की गयी।

प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मजरूब शाहे आलम व मृतक अरबाज को कोई भी गंभीर चोट नहीं आयी है और मृतक अरबाज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अरबाज की मृत्यु का करण uncertain बताया गया है। उनके द्वारा मृतक अरबाज के साथ कोई

मारपीट नहीं की गयी है।

मृतक अरबाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक अरबाज की मृत्यु का कारण uncertain बताया गया है जिस कारण मृतक अरबाज का विसरा जॉच हेतु सुरक्षित रखा गया है जिसकी जॉच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

केस डायरी के पर्चा नं0 5 में विवेचक द्वारा यह अंकित किया गया है कि घटना का सी0सी0टी0वी0 फुटेज देखने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके भतीजे मृतक अरबाज को जिस बेरहमी के साथ बिना कुछ देखे सिर पर पेट में लात–घूसों, बेल्ट, फन्टी, टाइल्स आदि से मारा जा रहा है, इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके भाई साहे आलम व भतीजा अरबाज मृतक के साथ जान से मारने की नियत से ही मारपीट की जा रही है एंव इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मौके पर ही कोई भी जघन्य अपराध घटित हो सकता था।

केस डायरी में वादी के मजीद बयान अंकित है, जिसमें वादी सवे आलम ने कहा है कि थाना गुरसहायगंज की पुलिस उसके भाई शाहे आलम व भतीजे अरबाज की डॉक्टरी सरकारी अस्पताल गुरसहायगंज में ले जाकर करायी थी। उसने नितिन व संदीप बाथम तथा 15 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध अपना मुकदमा लिखाया था। इसके बाद वह अपने भाई व भतीजे के साथ अपने घर चला गया था। रात को हम लोग खा पीकर सो गये थे। दिनांक 21.06.2024 को रात करीब 03–04 बजे सुबह उसके भतीजे अरबाज की तबियत खराब हो गयी और उसको पानी की उल्टी होने लगी इस पर उसके घर वालों ने रिश्तेदार शान मोहम्मद को सूचना दी कुछ समय पश्चात उसके रिश्तेदार शान मोहम्मद आ गये और अरबाज की अम्मी व घर के अन्य कई लोग गाडी करके कन्नौज लाखन चारौहे के पास गुप्ता डॉक्टर के हॉस्पिटल में गये थे, जहॉ पर उसको ले जाकर भर्ती कराया। जब शाम तक उसके भतीजे को आराम नहीं मिला उसके बाद उसके रिश्तेदार पाल चौराहे के पास ललिता नर्सिंग होम में लेकर गये, जहॉ उसको भर्ती कराया, लेकिन रात में उसकी फिर से तबियत खराब हो गयी तब उसके घर वाले अस्पताल की गाडी से ही कानपुर सिटी हॉस्पिटल में लेकर गये जहॉ पर डॉक्टर ने उसके भतीजे का सीटी स्कैन किया सी0टी स्कैन के होने के तुरन्त बाद उसके भाई अरबाज की सुबह करीब 06:30 बजे मृत्यु हो गयी।

केस डायरी के पर्चा सं0 25 पर मृतक अरबाज के पिता मो0 मुफीद अहमद का बयान अंकित है जिसमें मृतक के पिता मो0 मुहीद ने यह कहा है कि दिनांक 20.06.2024 को उसका पुत्र अरबाज उसके भाई सबे आलम व साहे आलम के साथ स्विमिंगपूल गुरसहायगंज में नहाने चला गया था। ये लोग जब नहाने लगे तो स्विमिंगपूल में पहले से ही कई लोग नहा रहे थे। स्विमिंगपूल में नहाने को लेकर गुरसहायगंज के लडके जो पहले से नहा रहे थे से कुछ वाद विवाद हुआ जिसके बाद गुरसहायगंज के लडको ने फोन करके कुछ और लड़को को बुला लिया, इन्हीं लड़को में उसके गांव का भी एक लड़का रानू जो वर्तमान समय में मुजाहिद नगर कस्बा गुरसहायगंज

में घर बनाकर रह रहा है वह भी स्वमिंगपूल पर मौजूद था ये तथा गुरसहायगंज के और लड़को ने उसके भाई व उसके पुत्र को काफी मारापीटा था जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उन लडको ने उसके भाई व पुत्र को काफी बुरी तरह से लात–घूसों व टाइल तथा डण्डों व बेल्टो से काफी मारापीटा जिससे उसके भाई व बेटे को काफी चोटे आयी थी। उसके भाई और बेटे को पिटवाने में उसके गॉव के रानू पुत्र सलीम का हाथ था। उसी दिन थाना गुरसहायगंज पर उसके भाई व लडके का मेडिकल परीक्षण हुआ था और मुकदमा भी लिखा गया था। इस घटना के बाद जब उसका भई व उसका बेटा घर आया तो उसके बेटे को अन्दरूनी काफी चोटे थी जिससे काफी सुस्त रहता था और कहता था कि सिर में दर्द हो रहा है। इसके बाद दो–तीन बार घर पर उल्टी–पल्टी भी किया था जब उसके बेटे की हालत बिगडने लगी और वह बेहोश जैसा हो गया तो आनन–फानन में दिनांक 22.06.2024 को सुबह कानपुर सिटी हॉस्पिटल कानपुर ले गये थे, जहां पर डॉक्टर ने उसके बेटे के सिर का सिटि स्कैन कराने के लिये बताया था। डॉक्टर द्वारा सिटी स्कैन देखकर हैलट अस्पताल ले जाने के बताया जैसे ही अस्पताल से बाहर निकले उसके लडके की मृत्यु हो गयी। घ टना के बाद घटना में शामिल लोगों के बारे में जो सी0सी0टी0वी0 फुटेज में दिख रहे हैं कि जानकारी की तो उसके बेटे और भाई के साथ मारपीट करने वालों में संदीप बाथम, नितिन जाटव, पिन्टू कठेरिया, गौतम शर्मा, संजू गुप्ता उर्फ संजीव कुमार, मोहित गिहार, आकाश यादव, गोविन्द, विपिन जोशी, विराट, ओमजी, हर्ष शर्मा, रानू व गोपाल गुप्ता की पहचान सही रूप से हुई थी।

केस डायरी के पर्चा सं0 25 पर ही चश्मदीद साक्षी मजरूब साहे आलम का बयान अंकित है जिसने यह कहा है कि दिनांक 20.06.2024 को वह व उसका भाई सवे आलम व उसका भतीजा अरबाज गुरसहायगंज स्थित स्विमिंगपूल पर नहाने गये थे। वहॉ पर पहले से गुरसहायगंज के लडके नहा रहे थे, जिसमें उसके गॉव का भी एक लडका रानू नहा रहा था। नहाने को लेकर कुछ कहा सुनी हो गयी उसी दौरान गुरसहायगंज के लड़को ने फोन करके और लड़को को बुला लिया और हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे जिसमें उसे भी चोटे आयी थी तथा उसके भतीजे अरबाज के भी चोटे आयी थी। हम लोगों के साथ लाठी–डण्डा व टाइल से मारपीट की थी। बचने के लिये हम स्विमिंगपूल पर बने ऑफिस में घुस गये थे और दरबाजा बन्द कर लिया था इन लोगों ने ऑफिस का दरबाजा तोड़कर बाहर खींच कर हमारे साथ लात–घूसों, डण्डा, टाइल व बेल्ट आदि से मारपीट की थी। उसके भतीजे अरबाज के भी काफी चोटे आयी थी। घटना 04:30 बजे की थी। घर जाकर उसके भतीजे की हालत खराब हो गयी तो उसे आनन–फानन में दिनांक 22.06.2024 को सुबह कानपुर सिटी हॉस्पिटल ले गये जहॉ उसके भतीजे के सिर का सी0टी0 स्कैन किया गया जिसके बाद हालत खराब होने पर हैलट अस्पताल ले जाने के बताया जैसे ही अस्पताल से निकले वहीं पर उसके भतीजे की मृत्यु हो गयी। घटना के सम्बन्ध में वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो के मुताबिक मारपीट करने वालों के कुछ लोगों के नाम पता ज्ञात होने पर संदीप बाथम, नितिन जाटव तथा प्रकाश में आये पिन्टू कठेरिया, गौतम शर्मा, संजू गुप्ता उर्फ संजीव कुमार, मोहित गिहार, आकाश यादव, गोविन्द, विपिन जोशी, विराट, ओमजी, हर्ष शर्मा, रानू व गोपाल गुप्ता का नाम पता

चला था बाकी सी0सी0टी0वी0 में और जो लडके दिख रहे हैं उनके बारे में सही जानकारी नहीं हो पायी है।

केस डायरी के पर्चा नं0 32 में मृतक अरबाज का सी0टी0 स्कैन करने वाले डॉक्टर चमन कुमार का बयान अंकित है जिसमें डॉ0 चमन कुमार ने यह कथन किया है कि दिनांक 22.06.2024 को मजरूब अरबाज का उसके द्वारा सिटी स्कैन किया गया था तथा सिटी स्कैन के बाद उसने उपचार हेतु अरबाज को हैलट अस्पताल ले जाने के लिये परिजनों को बताया था। सिटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार अरबाज के सिर के अन्दर बांये तरफ खून की नस फट जाने से रक्त का रिसाव हुआ रक्त के बहाव की वजह से सिर में दबाव पैदा हुआ तथा मरीज इससे बेहोशी की हालत में जा सकता था। ये किस कारण हुआ ये केवल मरीज के मेडिकोलीगल परीक्षण से पता चल सकता है।

उन्मोचन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्नवत हैं–

State Rep. By Inspector of Police vs Eluri Srinivasa Chakravarthi & ors. On 22 May 2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि

“ The courts decision on a discharge application must be based exclusively on the police report and documents submitted by the prosecution. The courts task is to ascertain if the prosecution has established a prima facie case against the accused based on the evidence it has provided. The discharge stage is not the time for a detailed examination of the evidence or for assessing the merits of the defense’s counter evidence”

इसी प्रकार **Sheoraj singh Ahlawat and others Vs. State of UP and ors (Decided on 9 november 2012) AIR 2013 Supreme Court 52** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया है कि Inconsistency in material produced by the prosecution can’t be looked into for discharge of the accused in the absence of a full fledged trial.

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। इस प्रकार वर्तमान स्तर पर केस डायरी पर विवेचक द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आलोक में प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण/

अभियुक्तगण गौतम शर्मा उर्फ गौतम जोशी, गोविन्द, विपिन, ओमजी व गोपाल गुप्ता उर्फ उत्कर्ष के विरूद्ध अंतर्गत धारा 147,323,504,506,427 व 302 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार है। अतः उन्मोचन प्रार्थनापत्र 13 बी व 20बी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण गौतम शर्मा उर्फ गौतम जोशी, गोविन्द, विपिन तथा ओमजी एवं गोपाल गुप्ता उर्फ उत्कर्ष की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 13 बी व 20 बी निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 08.09.2025 को पेश हो। सभी अभियक्तगण नियत दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हो।

(पूर्णिमा पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3 कन्नौज।